

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023-24 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट <https://ekalyan.cgg.gov.in> में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण-पत्रों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 1mb तक) वेबसाइट पर अपलोड करेंगे :-

- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक-01.08.2023 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।
- ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र (Residential Certificate) (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।
- संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)
- पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति।
- छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी। (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)

3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	20.12.2023	10.01.2024
2.	शैक्षणिक सत्र-2023-24 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	11.01.2024	20.02.2024
3.	संबन्धित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	12.01.2024	29.02.2024

९

4. कॉलेज/संस्थान का निबंधन-

(I) केवल AISHE कोड/U-Dise वाले शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे।

(II) आई0टी0आई0 एवं नर्सिंग संस्थानों के लिए AISHE कोड/U-Dise अनिवार्य नहीं है। परन्तु उन संस्थानों को NCVT/SCVT/Indian Nursing Council/Jharkhand Nurses Registration Council से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

(III) ऐसे कॉलेज/संस्थान जो पूर्व से ई-कल्याण पोर्टल पर निबंधित है-

- निजी कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान-College affiliation Certificate, Course Fee, Course Registration Certificate तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाईल नं0 सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) upload करना अनिवार्य है।
- सरकारी कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान- Course Fee, तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाईल नं0 सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) upload करना अनिवार्य है।

(IV) ऐसे कॉलेज/संस्थान जो पूर्व से ई-कल्याण पोर्टल पर निबंधित नहीं है:-College affiliation Certificate, College Registration Certificate, Course Fee, Course Registration Certificate, College/Hostel GeoTag with Co-ordinate तथा संस्थान के Letter Pad पर नोडल पदाधिकारी की विवरणी (ई-मेल तथा मोबाईल नं0 सहित) (ई-कल्याण पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार) दिनांक-10.01.2024 तक upload करना अनिवार्य है। जिन कॉलेज/संस्थानों को NAAC/NBA से प्रमाण-पत्र प्राप्त है, वे कॉलेज/संस्थान NAAC/NBA से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर upload करेंगे।

5. कॉलेज/संस्थान का दायित्व :-

(I) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।

नोट:- राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई-मेल आई0डी0 पर System Generated User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Student application form में दिखाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं।

(II) संस्थान अपने Letter Pad में वर्ष-2023-24 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु Bonafide Certificate निर्गत करेंगे, जिसमें निर्गत संख्या एवं दिनांक अंकित होगा।

(III) संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को <https://ekalyan.cgg.gov.in> के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे।

(IV) निबंधित संस्थान यदि अपने User Id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाईन:-

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई-कल्याण के सम्पर्क संख्या-1800-599-1289 एवं Whatsapp No.-9440256299 (Not for Call) पर सम्पर्क कर सकते हैं, तथा e-mail id-helpdeskekalyan@cgg.gov.in पर e-mail कर सकते हैं। साथ ही <https://ekalyan.cgg.gov.in> वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



